



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062026-273116  
CG-DL-E-03062026-273116

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2026/ज्येष्ठ 13, 1948

No. 374]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2026/JYAISTHA 13, 1948

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2026-27/जी.एन./आर.ई.जी.144.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2026 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 के खंड (झ) में, "से कोई दिवाला वृत्तिक अभिकरण,

दिवाला वृत्तिक, दिवाला वृत्तिक इकाई या इंफॉर्मेशन यूटिलिटी अभिप्रेत है” शब्दों और चिह्नों के स्थान पर “का वही अर्थ होगा जो संहिता की धारा 3 के खंड (31क) में दिया गया है” शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (3) में, “प्ररूप क में फाइल करेगा” शब्दों के स्थान पर “ऐसे प्ररूप में फाइल करेगा, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे।
4. मूल विनियमों के अध्याय 5 के पश्चात्, प्ररूप क का लोप किया जाएगा।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./133/2026-27]

**टिप्पण:** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 461, तारीख 6 दिसम्बर, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी./21, तारीख 7 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 80, तारीख 28 जनवरी, 2025 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2024-25/जी.एन./आर.ई.जी.119, तारीख 29 जनवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2025 द्वारा किए गए थे।

## INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

### **Insolvency and Bankruptcy Board of India (Grievance and Complaint Handling Procedure) (Amendment) Regulations, 2026**

**F. No. IBBI/2026-27/GN/REG144.**— In exercise of the powers conferred by section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Grievance and Complaint Handling Procedure) Regulations, 2017, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Grievance and Complaint Handling Procedure) (Amendment) Regulations, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Grievance and Complaint Handling Procedure) Regulations, 2017, (hereinafter referred to as ‘the principal regulations’), in regulation 2, in clause (i), for the words “means an insolvency professional agency, an insolvency professional, an insolvency professional entity or an information utility” the words, marks and numerical “shall have the same meaning as assigned in clause (31A) of section 3 of the Code” shall be substituted.
3. In the principal regulations, in sub-regulation (3) of regulation 3, for the words “Form A”, the words “in such format as notified by the Board” shall be substituted.
4. In the principal regulations, after Chapter V, Form A shall be omitted.

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./133/2026-27]

**Note:** The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Grievance and Complaint Handling Procedure) Regulations, 2017 were published *vide* Notification No. IBBI/2017-18/GN/REG/21 dated 06th December, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 461 dated 07th December, 2017 and were last amended by the IBBI (Grievance and Complaint Handling Procedure) (Amendment) Regulations, 2025 published *vide* Notification No. IBBI/2024-25/GN/REG119, dated the 28<sup>th</sup> January 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 80 on 29<sup>th</sup> January 2025.